# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—529/2015/223 (2015/00173)**

1. वीर विक्रम सिंह पुत्र योगराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम देवलिया खुर्द, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

**अपीलांट**

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंट**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 12.10.2015 व 29.10.2015 अंतर्गत वाद संख्या 143/2010.**

**उपस्थितः—**

1. श्री प्रदीप विश्नोई, वकील अपीलांट।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता ।

## निर्णय

**दिनांकः— 13.9.2019**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.10.2015 व 29.10.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 209 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि तहसील केकड़ी के ग्राम देवलिया खुर्द के खेत खसरा नंबर 136 रकबा 7.94 है0, खसरा नंबर 137 रकबा 9.55 है0 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संवत् 2021 से 2024 वादी की खातेदारी में अन्य खसरा नंबरान के साथ दर्ज थी । वादी खसरा नंबर 136 व 137 की भूमि पर पिछले 50 वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में भी वादी की बोई फसल खड़ी है । उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण रूप से रकबा राज दर्ज कर दी गई । प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में सीलिंग प्रकरण दर्ज किया गया था जिसके तहत अन्य भूमि अवाप्त की गई थी जो रकबाजराज दर्ज होकर अन्य व्यक्तियों को आवंटित हो चुकी है । विधिनुसार वादी 135 बीघा भूमि रखने का अधिकारी है किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में केवल मात्र 12 बीघा भूमि दर्ज है इस कारण वादी उक्त भूमि का अकन पुनः अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है । वादी की सीलिंग भूमि के अलावा शेष भूमि को भी त्रुटिपूर्ण रूप से रकबा राज दर्ज कर दिया गया जबकि शेष भूमि वादी की खातेदारी में ही दर्ज रहनी चाहिये थी, मौके पर यह भूमि वादी के ही पास है क्योंकि यह भूमि सींलिग में अधिग्रहित नहीं हुई थी । अतः वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 12.10.2015 व डिक्री दिनांक 29.10.2015 से वादी का वाद निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस

निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादपत्र में दर्ज भूमि खसरा नंबर 136 रकबा 7.94 है0 व 137 रकबा 9.55 है0 भूमि रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 में वादी की खातेदारी में दर्ज रही है और उक्त भूमि पूर्वजों के समय से ही लगातार काबिज काश्त चली आ रही है । जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 में वादी की खातेदारी में कुल 276–13 बीघा दर्ज थी जिसमें से 112 बीघा भूमि सीलिंग अधि0 के तहत अवाप्त व रकबा राज की गई, शेष भूमि में से कुछ भूमि अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में चली गई किन्तु खसरा नंबर 136 व 137 की भूमि न तो सिलिंग में अवाप्त की गई और न ही अन्य व्यक्तियों को रहन, बय, मुंतकिल आदि की गई किन्तु फिर भी राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से इसे रकबा राज दर्ज कर दिया गया किन्तु कब्जा काश्त निरन्तर वादी का ही चला आ रहा है । उपरोक्त दर्शित आधारों के अनुसार तनकी संख्या 1 को वादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित कर दिया था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अस्पष्ट व आधारहीन तर्क देते हुए बिना कोई विवेचन किये वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वादी का वाद इस आधार पर खारिज किया था कि वादी की भूमि सीलिंग में अवाप्त हो चुकी है और उसके विरूद्ध राजस्व मण्डल राज0 तक निर्णय हो चुका है एवं राज0 उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत रिट याचिका को इस न्यायालय में चाराजोही करने की अनुमति मांगी गई थी । जबकि वास्तविकता यह है कि तनकी के अनुसार अधी0न्याया0 को यह स्पष्ट करना चाहिये था कि कौन–कौन सी भूमि सीलिंग अवाप्ति से पूर्व वादी के पास थी और उसमं से कौनसे खसरे नंबर सीलिंग में अवाप्त हुए व कौन से शेष बचे है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है वह भूमि कभी भी सिंलिंग में अवाप्त नहीं हुई है । अधी0न्याया0 ने तथ्य व साक्ष्यों को विवेचित कर स्पष्ट निर्णय करने के बजाय मनमाने रूप से वाद खारिज किया है । बहस में आगे कथन किया कि वादी की आरे से दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 पेश की थी जिसमें वादी के परिवार के नाम कुल 276–13 बीघा भूमि दर्ज थी । इसमें से सीलिंग भूमि निकालने पर जो शेष बची वह खातेदारी में दर्ज रहनी चाहिये थी किन्तु वर्तमान में वादी के नाम केवल मात्र 12 बीघा भूमि ही दर्ज है, शेष भूमि को बिना किसी आधार के रकबा राज कर दी गई है । उसी भूमि को वादी पुनः दुरूस्ती करवाकर अपने नाम करवाना चाहता है । वादी ने साक्ष्य से अपने वाद पत्र को पूर्ण रूप से साबित किया है किन्तु अधी0न्याया0 ने साक्ष्य के विपरीत एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा आदि की विधिवत् जांच किये बगैर वाद को निर्णित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथ वादी को वाद स्वीकार कर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादी/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । विद्वान अधी0न्याया0 ने तनकीवार विवेचन कर

विधिसम्मत् रूप से वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । अपील की बहस में अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा है कि चौसाला जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 में वादी के परिवार के नाम 276.13 बीघा भूमि दर्ज थी इसमें से सीलिंग भूमि निकालने पर शेष रही भूमियां खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु वर्तमान जमाबंदी में वादी के नाम मात्र केवल 12 बीघा भूमि ही दर्ज है । अधी0न्याया0 को वादी का वाद डिक्री कर अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 136 व 137 की खातेदारी उद्घोषणा करनी चाहिये थी जो नहीं की गई है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2064 से 2068 में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज है तथा चौसाला संवत् 2025 से 2028 में खसरा नंबर 136 व 137 के पुराने खसरा नंबर 149 रकबा 224–3–10 बीघा दर्ज है । खसरा नंबर 149 उक्त भूमि के अलावा चौसाला खसरा नंबर 138, 143, 144, 147, 148 से बनना मिलान क्षैत्रफल से प्रतीत होता है । चौसाला जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 में खाता संख्या 139 में खातेदार वीर विक्रम सिंह वल्द जोगराज सिंह राजपूत के इस खाते में 276–13–10 बीघा भूमि दर्ज है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी द्वारा अपना वाद स्वंय सिद्ध करना चाहिये तथा दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाना चाहिये एवं सीलिंग भूमि अवाप्ति के संबंध में सभी निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां पत्रावली पर पेश करनी चाहिये थी । परन्तु वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 समक्ष न दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया न ही सीलिंग से संबंधित निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां ही पेश की गई है तथा न ही कब्जे व स्वामित्व के संबंध में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है। वादी/अपीलांट द्वारा अपने वाद को ठोस साक्ष्य द्वारा साबित नहीं करवाया गया कि अपीलाधीन भूमि सीलिंग मुक्त भूमि होकर अपीलांट की खातेदारी की भूमियां है तथा वर्तमान अभिलेख में गलत रूप से सिवायचक दर्ज की गई हो । इसके अतिरिक्त पत्रावली पर मौजूद जमाबंदी संवत् 2021 से 2024 की प्रति पर अंकित नामांतकरण संख्या 20 दिनांक 9.2.1980 से गत खसरा नंबर 149/1 मिन, 149 मिन, 921, 152 कुल किता 4 कुल रकबा 111–19–00 बीघा भूमि सीलिंग में अवाप्त होने पर सिवाय चक दर्ज होना स्पष्ट होता है । चूंकि सीलिंग अधिनियम में अवाप्त भूमि के बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत नहीं दी जा सकती है इसलिये इस विधिक बिन्दू पर भी वादपत्र कानूनन संधारण योग्य प्रतीत नहीं होता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है, उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् होने से अपील खारिज योग्य पायी जाती है।

7. परिणामतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.10.2015 एवं 29.10.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

8. निर्णय आज दिनांक 13.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(बी0एल0मेहरड़ा)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**